प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक – 1922/1996

उम्मेद सिंह व अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ हेतु

हस्ताक्षरित

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मै सहमत हूँ

हस्ताक्षरित

मुख्य न्यायाधीश

दिनाँक 10/07/2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरित

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक – 1922/1996

अपीलार्थीगण: 1. उम्मेद सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, आत्मज पूरनसिंह गोंड

2. संत लाल उर्फ संतकुमार उर्फ मंडल, आत्मज धनी राम, आयु लगभग 23 वर्ष

3. धन कुमार उर्फ दीवान, आयु लगभग 25 वर्ष, आत्मज घुरन सिंह

4. बसंत लाल, आयु लगभग 25 वर्ष, आत्मज धनी राम गोंड

सभी निवासी ग्राम भूकभूकी, थाना चिरमिरी, जिला सरगुजा, म.प्र. (वर्तमान में छ.ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

द्वारा थाना चिरमिरी, जिला सरगुजा

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण की ओर से श्रीमती मीना शास्त्री, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(10.07.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया।

1. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 345/95 में पारित दिनांक 18 अक्टूबर 1996 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। आलोच्य निर्णय द्वारा, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 एवं 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है और उन्हें 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, जिसके भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

2. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

17 अभियुक्तगणों (ए-1 से ए.-17) का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 307/149 एवं 302/149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों को कारित करने हेतु किया गया। अभियोजन का मामला इस प्रकार था कि 14.7.95 को दोपहर लगभग 12.30 बजे, अभियुक्तगण ने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया, घातक हथियारों के साथ बलवे में भाग लिया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मृतक अनुरूप सिंह की हत्या कारित की तथा मानदेव (अ.सा.-10) और देवसिंह (अ.सा.-11) को जान से मारने का प्रयास किया। अभियोजन का मामला राम सिंह (अ.सा.-2 - मृतक के पिता), मानदेव (अ.सा.-10) और देवसिंह (अ.सा.-11) के चक्षुदर्शी साक्ष्य पर आधारित था। मानदेव (अ.सा.-10) और देवसिंह (अ.सा.-11) पक्षद्रोही हो गए। यद्यपि उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि ग्रामीणों द्वारा उन पर लाठी से हमला किया गया था, परंतु वे यह अभिसाक्ष्य नहीं दे सके कि वहां कौन उपस्थित थे और किसने उन पर हमला किया। इसलिए, सभी अभियुक्तगणों को धारा 307/149 के अंतर्गत विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। हालांकि, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने राम सिंह (अ.सा.-2) की एकमात्र गवाही पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त 4 अपीलार्थी (अभि.-1, अभि.-5, अभि.-12 और अभि.-14) और अन्य ग्रामीण जिन्हें पहचाना नहीं जा सका, उस विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे, उन्होंने बलवे में भाग लिया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उन्होंने मृतक अनुरूप सिंह की हत्या कारित की। तदनुसार, उपरोक्त 4 अपीलार्थियों (अभि.-1, अभि.-5, अभि.-12 और अभि.-14) को दोषसिद्ध किया गया और पूर्वोक्त रूप से दंडादिष्ट किया गया। हालांकि, अन्य अभियुक्तों को उनके विरुद्ध विरचित सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मीना शास्त्री ने यह तर्क दिया है कि राम सिंह (अ.सा.-2) मृतक के पिता हैं; वह मृतक के निकट संबंधी होने के कारण एक हितबद्ध साक्षी हैं; घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदेहास्पद है; उन्होंने पसंद और चुनाव की पद्धति अपनाई; अतः राम सिंह (अ.सा.-2) के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि कायम रहने योग्य नहीं है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का परिशीलन भी किया है।

6. साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए रिश्ता कोई कारक नहीं है। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे गवाह नहीं हो सकते और वे हमेशा न्यायालय के समक्ष झूठा बयान देंगे। मृतक का निकट संबंधी होना, अपने आप में उसे हितबद्ध साक्षी नहीं बना देता। हितबद्ध साक्षी वह होता है, जो प्रतिशोध, शत्रुता या विवादों के कारण किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि प्राप्त करने में रुचि रखता हो और जो न्याय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल इसी मंशा से न्यायालय के समक्ष बयान देता है। उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया है कि हितबद्ध साक्षियों के वृत्तांत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जांचा जाना चाहिए। (देखें- नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 AIR SCW 1835; सोनेलाल बनाम म.प्र. राज्य, 2008 AIR SCW 7988; और धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, अन्य संबंधित अपीलें, (2010) 7 SCC 759)। अतः, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि राम सिंह (अ.सा.-2) पर केवल इसलिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह मृतक का पिता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन पर भरोसा करने से पहले उनके साक्ष्य की उचित और सावधानी के साथ सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. अब हम उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर राम सिंह (अ.सा.-2) के साक्ष्य का परीक्षण करेंगे।

8. राम सिंह (अ.सा.-2) मृतक के पिता हैं। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन, वे अपने पुत्र गजरूप और पौत्र देवनारायण के साथ तुलसीप्रसाद (अ.सा.-13) के खेत में मजदूरी करने गए थे। वे उसके खेतों की जुताई कर रहे थे। दोपहर लगभग 12:00 बजे, उन्होंने

मवेशियों को हल से खोला। जब वह अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि सभी अभियुक्तों ने उनके पुत्र अनुरूप सिंह (मृतक) के घर को घेर लिया था। जब उन्होंने अभियुक्तों से पूछा कि उन्होंने घर क्यों घेरा है, तो उन्होंने बताया कि उनके पुत्र ने उन्हें गाली दी है, इसलिए वे उसे मारेंगे। वह अपने पुत्र से अलग दूसरे घर में रह रहे थे। उस समय, अनुरूप सिंह (मृतक) अपने घर के अंदर था। अभियुक्त संत लाल (अभि.-5) के बुलाने पर उनका पुत्र बाहर आया। इसके बाद संत लाल (अभि.-5), उम्मेद सिंह (अभि.-1), बसंत लाल (अभि.-14) और दीवान उर्फ धन कुमार (अभि.-12) ने उस पर लाठी से हमला किया। जब उनका पुत्र गिर गया, तो गया प्रसाद (अभि.-8), रामदेव (अभि.-4), भीम सिंह (अभि.-11), भंडारी सिंह (अभि.-13), उजित (अभि.-2), धनी राम (अभि.-16) और करण साय (अभि.-3) घटनास्थल से भाग गए। वहां खड़े अन्य अभियुक्त भी यह देखकर भाग गए कि उनके पुत्र (मृतक) के साथ उपरोक्त 4 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जा रही है। वह अपने पुत्र के पास गए और देखा कि वह सांस ले रहा था। कुछ समय बाद, बसंत लाल (अभि.-14), दीवान (अभि.-12), संत लाल (अभि.-5) और उम्मेद सिंह (अभि.-1) फिर से वहां आए और उनके पुत्र पर लाठी से हमला किया। प्रति-परीक्षण के पैरा-7 में, उन्होंने स्वीकार किया कि मवेशियों को हल से मुक्त करने के बाद, वह गाँव के तालाब गए थे और तालाब में स्नान करने के बाद, वह गजरूप और देवनारायण के साथ भोजन करने के लिए तुलसीप्रसाद (अ.सा.-13) के घर गए थे और तुलसीप्रसाद (अ.सा.-13) के घर भोजन करने के बाद, वे दोपहर लगभग 1.30 बजे अपने घरों को लौटे। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि उनके घर लौटने से पहले ही घटना घटित हो चुकी थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) राम सिंह (अ.सा.-2) द्वारा दर्ज कराई गई थी। एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-2) में उन्होंने सभी अभियुक्तों के नाम लिए थे और उल्लेख किया था कि सभी अभियुक्तों ने मृतक के साथ मारपीट की थी। जब प्रति-परीक्षण के पैरा-9 में एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-2) की सामग्री उनके समक्ष रखी गई, तो वह उपरोक्त लोप का स्पष्टीकरण नहीं दे सके और उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि केवल बसंत लाल (अभि.-14), संत लाल (अभि.-5), उम्मेद सिंह (अभि.-1) और दीवान (अभि.-12) ने ही उनके पुत्र (मृतक) पर हमला किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बयान दिया कि यदि एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-2) में मृतक के हमलावरों के रूप में उपरोक्त अभियुक्तों (अपीलार्थीगण) के

विशिष्ट नाम नहीं हैं, और यदि एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-2) में यह अंकित है कि सभी अभियुक्तों ने मृतक के साथ मारपीट की थी, तो वह इसका कारण नहीं बता सकते।

10.प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) की सामग्री यह दर्शाती है कि राम सिंह (अ.सा.-2) ने इसे केवल 15 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया था। उन्होंने अपने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में हमलावरों के रूप में 2 और अभियुक्तों के नाम जोड़ दिए। हालांकि, अपने न्यायालयीन बयान में उन्होंने केवल 4 अपीलार्थियों (अभि.-1, अभि.-5, अभि.-12 एवं अभि.-14) के नाम लेने का चुनाव किया। वास्तव में, उन्होंने पसंद और चुनाव की पद्धति अपनाई। उनका ऐसा आचरण पहले एफ.आई.आर. में 15 हमलावरों के नाम लेना, फिर धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में 2 और हमलावरों के नाम जोड़ना, और अंततः विचारण के दौरान केवल 4 अपीलार्थियों के नाम लेना—उनके बयान को अस्थिर बनाता है। राम सिंह (अ.सा.-2) के उपरोक्त आचरण के कारण यह तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है कि मृतक का पिता होने के नाते वह एक हितबद्ध साक्षी थे और जानबूझकर केवल 4 चयनित व्यक्तियों (वर्तमान अपीलार्थीगण) के विरुद्ध बयान दे रहे थे, जबकि उन्होंने उन अन्य अभियुक्तों के नाम छोड़ दिए जिनके विरुद्ध उन्होंने एफ.आई.आर. और धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों में आरोप लगाए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.तुलसीप्रसाद (अ.सा.-13) वह व्यक्ति है जिसने राम सिंह (अ.सा.-2) और उसके अन्य दो रिश्तेदारों को अपने खेत में मजदूरी पर लगाया था। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि राम सिंह (अ.सा.-2), गजरूप और देवनारायण, प्रथम पाली में खेत में काम करने के बाद, दोपहर लगभग 1.00 बजे भोजन के लिए उनके घर पहुँचे थे। उन्होंने उनके घर में भोजन करने में लगभग 1 से 1½ घंटे का समय लिया। देवनारायण दोपहर लगभग 2.30 बजे उनके घर से चला गया। उसके बाद गजरूप भी उनके घर से निकला और अपने पड़ोसी के घर चला गया जहाँ 'छठी' मनाई जा रही थी। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि राम सिंह (अ.सा.-2) उनके घर पर ही रुका रहा था। वह उनके घर में सो रहा था। अपने प्रति-परीक्षण के पैरा-5 में, उन्होंने स्वीकार किया कि राम सिंह दोपहर 3-3.30 बजे तक उनके घर में सो रहा था, और वह इस साक्षी (अ.सा.-13) के कहने पर दोपहर लगभग 3-3.30 बजे उठा। यह राम सिंह (अ.सा.-2) के परिसाक्ष्य पर भी संदेह उत्पन्न करता है, जो यह दावा करता है कि वह दोपहर लगभग 12.30 बजे घटनास्थल पर उपस्थित था।

12.यद्यपि न्यायालय के लिए एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना संभव है, किंतु ऐसे साक्षी का साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 भी यह प्रावधान करती है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी मामले में साक्षियों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं होगी। अतः, जो महत्वपूर्ण है वह साक्ष्य की गुणवत्ता है, न कि उसकी संख्या ।

13.वर्तमान मामले में, दो चक्षुदर्शी साक्षी, अर्थात्- मानदेव (अ.सा.-10) और देवसिंह (अ.सा.-11), जो कि आहत साक्षी थे, पक्षद्रोही हो गए हैं। सत्र न्यायाधीश ने राम सिंह (अ.सा.-2) के एकमात्र परिसाक्ष्य पर भरोसा किया है। हमारा यह मत है कि राम सिंह (अ.सा.-2) के उपरोक्त आचरण, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) की सामग्री और तुलसीप्रसाद (अ.सा.-13) के साक्ष्य के अवलोकन में, अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने के लिए राम सिंह (अ.सा.-2) की एकमात्र परिसाक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था।

14.अतः, राम सिंह (अ.सा.-2) की एकमात्र गवाही पर आधारित दोषसिद्धि कायम रहने योग्य नहीं है और अपीलार्थीगण संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

15.पूर्वोक्त कारणों से, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 एवं 302/149 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेशों को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेखित है कि अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानतपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Ashutosh Dwivedi